न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00315 (155/2018) **दायरा दिनांक : 26.11.2018**

उनवान

नाथूलाल आत्मज कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0) – मृतक

1/1–सुजान वल्द नाथूलाल जाति गुर्जर निवासी नाला – मृतक

1/2–धापू बाई पत्नी स्व. सुजान जाति गुर्जर निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

1/3–संजू बाई पुत्री सुजान जाति गुर्जर निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

1/4–सपना पुत्री सुजान जाति गुर्जर निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

1/5–देवेन्द्र आयु 13 साल नाबालिग पुत्र सुजान जाति गुर्जर जरिये वली निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– बापूलाल वल्द भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

2– राय सिंह वल्द भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

3– भोजराज दत्तक पुत्र औंकार औरस पुत्र नाथूलाल जाति गुर्जर निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

4– मांगीलाल वल्द कंवर लाल जाति गुर्जर निवासी नाला तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)

5– हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हाल बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक असनावर जिला झालावाड (राज0)

6– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील असनावर जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बच्चूलाल रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 06.12.2024**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी असनावर के प्रकरण संख्या –565/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, तथा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम नाला पटवार क्षेत्र टांडी सोहनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र असनावर तहसील झालरापाटन जिला झालवाड में जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में आराजी खसरा नं. 67 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नं. 68 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 79 रकबा 30.02 बीघा, खसरा नं. 138 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नं. 140 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नं. 143 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नं. 144 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नं. 145 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 147 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 175 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नं. 176 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं. 177 रकबा 3.02 बीघा, खसरा नं. 326 रकबा 5.00 बीघा कुल 12 किता कुल रकबा 41.19 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 से वादी का वाद खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, जो बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना शपथ पर साक्ष्य लिये किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। जब प्रतिवादी की आरे से इंकारी जवाब दावा पेश किया गया तो मातहत न्यायालय को विवाधक निर्मित करना चाहिए था एवं उन पर फरिकेन की साक्ष्य रेकार्ड करना चाहिए था जो न कर मातहत न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया एवं गलततौर से अपीलांट का दावा खारिज किया जो काबिले गौर है। मातहत न्यायालय ने राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार के दौरान यह निर्णय पिछली तारीख में पारित किया है जो कानून सम्मत निर्णय की तारीफ में नहीं आता जो कि अपास्त होने योग्य है। अतः मातहत न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2018 अपास्त फरमा कर वाद को कानून सम्मत प्रकिया अपनाकर निर्णय करने बाबत् रिमाण्ड फरमाया जाने की कृपा करे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी बनाये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया। बिना राजीनामा के राजस्व कैंप में निर्णय पारित किया गया है जिसकी हमे कोई सूचना भी नही दी है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2018 विधिसम्मत होने के कारण अपील खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखी जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 तथा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद प्रस्तुत कर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित विवादित आराजी ग्राम नाला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में दर्ज कुल किता 12 कुल रकबा 41 बीघा 19 बिस्वा

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी जो प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के शामलाती खाते में दर्ज है में से 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे एवं बाद घोषणा सहखातेदारी की उक्त वर्णित आराजी का कानून सम्मत विभाजन कर जो आराजी वादी के हिस्से में आवे उसे नक्शे में दर्शाया जाकर वादी का खाता पृथक दर्ज रिकार्ड किया जावे यह प्रार्थना की।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर दिनांक 11.07.2018 को निर्णय पारित कर वादी का वाद खारिज किया। वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11.07.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से इंकारी जवाब दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम करते हुए वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात् विधिवत निर्णय पारित करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया एवं गलततौर से अपीलांट का दावा खारिज किया है।

वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.10.2016 को प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी कम एक की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। अन्य प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया। दिनांक 15.02.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तत्पश्चात दिनांक 25.04.2018 एवं 06.06.2018 को नियत दोनों तारीख पेशी पर वादी एवं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2018 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 का जवाब दावा पेश किया जा चुका था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादी द्वारा प्रस्तुत दावे एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत विश्लेषण करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ना ही तनकीयात कायम की और ना ही विधिवत विश्लेषण के पश्चात तनकीवार निर्णय पारित किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विधिवत् तनकीवार विश्लेषण करते हुए पुनः नये सिरे से विधिवत तनकीवार निर्णय पारित करे। पक्षकारन को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा